राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2019–20/ 5287 दिनांक 20/8/19

दिशा–निर्देश
(सत्र 2019–20)

विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls)

अवधारणा एवं उद्देश्य–

राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के समावेशित शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को मुख्यधारा में समायोजन, समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण, भेदभाव को रोकने, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढाकर उत्साहवर्द्धन करने, इनके अधिकारों एवं क्षमताओं के बारें में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से समावेशित शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन द्वारा उन्हें चिकित्सकीय, कियात्मक, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबंलन प्रदान कर उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास किया जाता है। राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) देय होता है।

वार्षिक कार्य योजना सत्र 2019–20 के अन्तर्गत स्टाईपेन्ड भत्ते (Stipend for Girls) हेतु अप्रेजल उपरान्त राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत 7405 विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु 148.100 लाख रू का प्रावधान है। सत्र 2019–20 में भी गत वर्ष 2018–19 के अनुसार ही निम्नानुसार स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) उपलब्ध कराया जाना है:–

स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) :-

- पात्रता :– राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत 7405 विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु 4685 तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर हेतु 2720) हेतु स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) जिन्हें सक्षम

www.teachergyan.com

चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उन्हें स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) देय होगा।

- अवधि :– 10 माह
- राशि :– ₹ 200/–प्रति माह (एक मुश्त ₹ 2000/–)
- स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) का व्यय समावेशित शिक्षा मद की " Stipend for Girls " उपमद से किया जायेगा।

<u>विशेष बिन्दु :-</u>

- प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं (CWSN) की PMS Portal पर एन्ट्री कर हार्ड कॉपी जिला कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के बैंक खातों को आधार से जुड़वाना सुनिश्चित करें।
- संबंधित पात्र विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के बैंक खाते में स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) की राशि जमा कराने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाये।
- अगस्त 2019 में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलेक्टर, पंचायत समिति, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) के कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग इत्यादि के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जावे व व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे, जिससे अधिकाधिक पात्र बच्चों को लाभ मिल सकें।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अगस्त माह के अन्तिम सप्ताह तक विद्यालयों के संस्था प्रधानों से आवेदन पत्र भरवाकर प्रमाणित संख्या एकत्र कर राज्य मुख्यालय पर प्रमाणित संख्या प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात राशि जारी की जायेगी।
- जिले के समस्त पात्र विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) दिया जाना हैं परन्तु यदि बजट की अनुपलब्धता की स्थिति में सभी पात्र बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशिल शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् को भिजवाएंगे।

www.teachergyan.com

▪ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से इन बालिकाओं को उक्त राशि प्राप्त हो रही है, उन्हें यह राशि देय नहीं होगी। इस आशय का प्रमाण पत्र भी लिया जावे।

29.8.19
(डॉ. एन. के. गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/19–20/5287 दिनांक :30/8/19

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत हैं :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव/सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. रक्षित पत्रावली।

29/8/19
(हरभाज मीणा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

www.teachergyan.com